न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 78 / 2025(GCMS 2025/352)

शिराज अनेजा आर एस 10, रिद्धी सिद्धी फर्स्ट एवेन्यु, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 97727–66223)

बनाम

प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री शिराज अनेजा को बार बार आवाज् लगाई गई, परन्तु वे उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2025 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी शिराज अनेजा ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2025 से प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी :

> मेरे पूर्व किरायेदार मुकेश कटारिया जिसका निधन वर्ष 2020 में हो गया था, जो उनके नाम से मुकेश ट्रेडर्स के नाम पर श्रीगंगानगर में आर्म्स लाईसेंस की दुकान उनके उत्तराधिकारी द्वारा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता कटारिया के नाम पर 23ए पब्लिक पार्क स्थित दुकान पर ट्रांसफर करवाया गया था।
>
> कृपया यह जानकारी प्रदान करने की कृपा करें कि वर्ष 2020 में मुकेश कटारिया के निधन पश्चात आर्म्स लाईसेंस एक्ट से सम्बन्धित किन–किन सहायक दस्तावेजों को उनके द्वारा अथवा उनके परिवार / उत्तराधिकारी द्वारा [illegible] था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर एवं प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, **श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक एफ7(1)न्याय(आरटीआई) / 2025 / 4662 दिनांक 22.12.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्र. सं.	**सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के क्रम में आवेदन के के बिन्दु**	**सूचना के क्रम में प्रत्युत्तर**
1	मेरे पूर्व किरायेदार मुकेश कटारिया जिसका निधन वर्ष 2020 में हो गया था, जो उनके नाम से मुकेश ट्रेडर्स के नाम पर श्रीगंगानगर में आर्म्स लाईसेंस की दुकान उनके उत्तराधिकारी द्वारा उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता कटारिया के नाम पर 23ए पब्लिक पार्क स्थित दुकान पर ट्रांसफर करवाया गया था। कृपया यह जानकारी प्रदान करने की कृपा करें कि वर्ष 2020 में मुकेश कटारिया के निधन पश्चात आर्म्स लाईसेंस एक्ट से सम्बन्धित किन–किन सहायक दस्तावेजों को उनके द्वारा अथवा उनके परिवार/उत्तराधिकारी द्वारा विभाग मे जमा करवाया गया था।	सूचना तृतीय पक्ष से सम्बन्धित होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या 8(डी) के अनुसार आपको उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है।

अति. जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक [illegible] से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री [illegible] में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। साम[illegible] खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधि[illegible] का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की** कोई गुंजाईश **नही है।** इसलिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट **(प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा), श्रीगंगानगर** ने अपील का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। **आदेश की प्रति अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं** अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.04.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Yadav
Date: 2026.05.07 16:13:50 IST
Reason: SelfAttested